




संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, इन्द्रावती भवन नया रायपुर (छ0ग0)



Directorate of Town & Country Planning, Indravati Bhawan Naya Raipur (C.G.)

**मुख्यालय**

इन्द्रावती भवन, ब्लॉक नंबर-4,  
तीसरी मंजिल, नया रायपुर -  
दूरभाष - 0771-2511852  
फैक्स - 0771-2511854  
Email : cg\_townplan@hotmail.com  
Email : cgtownplan@gmail.com  
Web. www.tcp.cg.gov.in

**HEAD OFFICE :**

Indravati Bhawan, Block No-4  
3<sup>rd</sup> Floor, Naya Raipur,  
Tel. : 0771-2511852  
Fax: 0771-2511854  
Email : cg\_townplan@hotmail.com  
Email : cgtownplan@gmail.com  
Web. www.tcp.cg.gov.in


**// // आदेश // //**

क्रमांक/ 4506 /LA-06/नग्रानि./2016.

नया रायपुर, दिनांक 29/11/2016

छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 75 (2) में दिये गये प्रावधान के अनुसार संचालक इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य समस्त या कोई भी शक्तियां या अपील या पुनरीक्षण को सुनने की शक्ति से भिन्न हो, अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी को लिखित आदेश द्वारा, प्रत्यायोजित कर सकेगा। परन्तु "ऐसे निर्बन्धनों के अध्याधीन रहते हुए जैसे कि राज्य सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा अधिरोपित किये जाये" परन्तु वर्तमान में शासन द्वारा ऐसे कोई साधारण या विशेष आदेश जारी नहीं किये गये हैं।


वर्तमान में 169 नगरों के निवेश क्षेत्र गठित किए जा चुके हैं, जिसमें से 168 नगरों में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 प्रभावशील है तथा 120 नगरों में वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्रों का प्रकाशन हो चुका है, जिससे संचालनालय में प्रकरणों की संख्या बढ़ती जा रही है। अतः संयुक्त संचालक, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, नया रायपुर को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा नियम 27 एवं धारा 16 के प्रकरणों में छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 75(2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रकरणों में अधिकार प्रत्यायोजित किए जायेंगे। जिसका पृथक से आदेश अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जारी किये जायेंगे।

  
(सिद्धार्थ कुमार सिंह परदेही) 29/11/16  
आयुक्त सह-संचालक  
नगर तथा ग्राम निवेश  
इन्द्रावती भवन, नया रायपुर

पृ0कमांक/ /LA-06/नग्रानि./2016,  
प्रतिलिपि :-

नया रायपुर, दिनांक /11/2016

01. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा आवास एवं पर्यावरण विभाग की ओर कृपया सूचनार्थ।
02. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर की ओर कृपया सूचनार्थ।
03. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर की ओर कृपया सूचनार्थ।
04. आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, पर्यावास भवन, नया रायपुर की ओर कृपया सूचनार्थ।
05. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर कृपया सूचनार्थ।
06. श्री एम0के0 गुप्ता, संयुक्त संचालक, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
07. संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय ..... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
08. आयुक्त, नगर पालिक निगम, ..... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
09. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत ..... ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, सीपत/अरपा/सिरपुर/तमनार/पुरा/एन.आर.डी.ए./की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य उद्योग विकास निगम, एल.आई.सी. परिसर, पण्डरी रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
आयुक्त सह-संचालक 29/11/16.  
नगर तथा ग्राम निवेश  
इन्द्रावती भवन, नया रायपुर